


2022/191

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
56/22	212 RTA	तु फिफ्ता	5, 10/31
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
चम्मालाल वगै.		बनाम	हजारीलाल वगै.
वकील :- APS Adv.		आदेश पत्रक	वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
27/22	<p>अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 30.09.2022 को पेश हो।</p>	
30/22	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 28/11/22 को पेश हो।</p> <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	 नि. राधा केशव
28/22	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23/10/23 को पेश हो।</p> <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
23/23	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21/10/23 को पेश हो।</p> <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	
21/23	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 3/5/23 को पेश हो।</p> <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),</p>	

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

विधि

19/12/23

पत्रावली पेश हुई। MRCL के भों के बाद पूर्ववत् स्थिति में पेश हुई। वकील जर्जी उपा। प्रतिवादी गणों के बाद वकील समान प्राप्त। क्वजुद सूचना के अनुपस्थित। इसके विरुद्ध एकतरफा कार्य वादी की जाती है। वास्तव में पत्रावली दिनांक 13/11/23 को पेश हो।

26/10/23

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 21.12.23 को पेश हो।

Signature

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

21/12/23

पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 14/12/24 को पेश हो।

Signature

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

14.2.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 2.4.24 को पेश हो।

Signature

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

2.4.24

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी उपा। कुछ क्लिगजु जर्जी उपा। पत्रावली वाद आदेश दिनांक 9.4.24 को पेश हो।

9.4.24

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी उपा। कहीं का नोट सजावट किया जा चुका है। यह उकल में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। उकल इसी स्टेज पर है। पत्रावली के लिए सुनाए गए वाद वकील उकल में दाखिल नहीं है।